आदेश सं0–.................. दिनांक– ....

अपीलवाद संख्या 02/2017

न्याय निर्णायक पदाधिकारी, गया बनाम मेसर्स न्यू सूरज फुड प्रोडक्ट्स, कण्डी बीथो, गया, बिहार

आदेश

श्री सुदामा चौधरी, खाद्य संरक्षा अधिकारी, पटना, कैम्प–गया, द्वारा दिनांक 11.12.2011 को मेसर्स न्यू सूरज फुड प्रोडक्ट्स, कण्डी बीथो, गया के प्रतिष्ठान में बिक्री हेतु रखे गये ब्रेड का नमूना संग्रह कर जाँच हेतु Joinet Food & Drug Laboratory, Agamkuan, Patna-7 को भेजा गया। जाँचोपरान्त रिपोर्ट संख्या– 673/2011 दिनांक 22.12.2011 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भेजे गए नमूने को Misbrand करार दिये जाने के कारण मेसर्स न्यू सूरज फुड प्रोडक्ट्स, कण्डी बीथो, गया के प्रोपराईटर मो० सलामत हुसैन पे० पीर मुहम्मद के विरूद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52 के तहत् मामला सुनवाई हेतु दिनांक 23.01.2014 को न्याय निर्णायक पदाधिकारी, गया के कोर्ट में दाखिल किया गया।

2. मामले की सुनवाई के क्रम में दोनों पक्षों का दलील सुनने के बाद न्याय निर्णायक पदाधिकारी, गया द्वारा खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा 52 के तहत् उक्त आरोपित दुकानदार के मालिक के विरूद्ध दिनांक 12.07.2017 को दो लाख पचास हजार रुपये (2,50,000/–) का दण्ड अधिरोपित किया गया।

3. उक्त निर्णय के विरूद्ध खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के धारा 68 (Notes of Clauses) में निहित प्रावधान के तहत् खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार के यहाँ अपील दिनांक 11.08.2017 को किया गया।

4. अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 21.09.2017 समय 11.30 बजे पूर्वाह्न में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य–सह–खाद्य संरक्षा आयुक्त, बिहार के कार्यालय कक्ष में निर्धारित की गई।

5. उक्त तिथि को ससमय प्रतिवादी के द्वारा प्राधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री मनोरंजन कुमार उपस्थित हुए।

6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना था कि जब वि–निर्माण कार्य चल रहा था तथा पैकेट पर वि–निर्माण तिथि अंकित होने वाली ही थी कि धावा दल द्वारा तिथि अंकित करने से

पहले ही नमूना संग्रह कर लिया गया, जिस कारण से पैकेट पर वि–निर्माण तिथि अंकित नहीं हो सकी। जबकि पैकेट पर Best Before 4 days from the date of packing अंकित था। उसने आश्वस्त किया कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी।

7. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता की दलील सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजात का अवलोकन करने के पश्चात् यह पाया गया कि 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) का दण्ड जुर्म के अनुपात में ज्यादा है, अतः प्रतिवादी पर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के धारा 52 के तहत् 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि अधिरोपित दंड की राशि आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अंदर कोषागार चालान के माध्यम से मुख्य शीर्ष–0210, चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य, उप मुख्य शीर्ष–80 सामान्य, लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियाँ, उप शीर्ष–0003 अन्य मदें, विपत्र कोड– RO210808000003 में जमा कराना सुनिश्चित करें तथा राशि जमा करने के उपरांत कोषागार चलान की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करें। खाद्य कारोबारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (ii) का पालन सुनिश्चित करें अन्यथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ह०/–
खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक.....FSC/134/2017/18 पटना/ दिनांक....09.10.2017

प्रतिलिपि : मेसर्स न्यू सूरज फुड प्रोडक्ट्स, प्रो० मो० सलामत हुसैन, S/O पीर मुहम्मद, कण्डी बीथो, गया, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : खाद्य संरक्षा अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : न्याय निर्णायक पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : IT Manager, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

खाद्य संरक्षा आयुक्त,
बिहार, पटना।